बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
संकल्प

गोपनीय / मुहरबंद

विषयः— **भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2022-23 के अन्तर्गत राज्य सरकार को ग्रामीण कार्य विभाग के लिए स्वीकृत राशि के प्रथम किस्त के रूप में कर्णांकित राशि ₹ 389.292 करोड़ का प्रावधान के लिए योजना एवं विकास विभाग से वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त अतिरिक्त योजना उद्व्यय के आलोक में मांग संख्या–37 मुख्य शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष –00 लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष–0104 – मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अंतर्गत विषय शीर्ष 53 01 में ₹ 389.292 करोड़ (तीन सौ नवासी करोड़ उन्तीस लाख बीस हजार) रू0 मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।**

वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराने हेतु ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा **मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना एवं उनके घटक योजना** इकाई के अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है।

1. वित्तीय वर्ष 2022–23 में मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना एवं उनके घटक योजना में कुल ₹ 729.97 करोड़ का बजट उपबंध है जबकि एकरारनामा के अनुसार ₹ 5257.40 करोड़ का दायित्व सृजित है। साथ ही वर्तमान में MIS पर सम्पादित कार्यों के विरूद्ध भुगतान हेतु राशि ₹ 1274.50 करोड़ की अधियाचना लंबित है। इस परिस्थिति में सृजित दायित्व की पूर्ति हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

2. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक–F. No. 44 (1)/PF-S/2022-23 (CAPEX) दिनांक– 06.04.2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य सरकार को Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment के तहत 50

वर्षों के लिए ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराने की सूचना दी गयी। तदालोक में ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना में लंबित दायित्वों के भुगतान हेतु ₹ 2528.04 करोड़ (दो हजार पॉच सौ अठाईस करोड़ चार लाख) रू0 मात्र उपलब्ध कराने हेतु वित्त विभाग, बिहार, सरकार द्वारा अनुरोध किया गया।

3. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक–F. No. 44 (1)/PF-S/2022-23 (CAPEX)-Bihar दिनांक– 27.09.2022 के द्वारा Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment Part-1 के रूप में राज्य सरकार को स्वीकृत की गयी राशि में ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत राशि ₹ 778.5840 करोड़ (सात सौ अठहत्तर करोड़ अन्ठावन लाख चालीस हजार) रू0 मात्र कर्णांकित किया गया है।

4. उपरोक्त के आलोक में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक–F. No. 44 (1)/PF-S/ 2022-23 (CAPEX)-Bihar- SACE-17 दिनांक– 21.10.2022 के द्वारा Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment Part-1 के तहत प्रथम किस्त के रूप में राज्य सरकार को कर्णांकित राशि का 50 प्रतिशत राशि विमुक्त किया गया है। तदालोक में ग्रामीण कार्य विभाग के लिए राशि ₹ 389.292 करोड़ रू0 विमुक्त किया गया है, जो बिहार सरकार के समेकित निधि में दिनांक–21.10.2022 को प्राप्त हुआ है।

5. उक्त राशि के प्रावधान के लिए योजना एवं विकास विभाग, बिहार, सरकार द्वारा ग्रामीण कार्य विभाग हेतु अतिरिक्त योजना उद्व्यय उपलब्ध कराये जाने की सूचना है।

6. वर्णित तथ्यों के आलोक में **भारत सरकार, वित्त मंत्रालय से Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2022-23 के अन्तर्गत राज्य सरकार को ग्रामीण कार्य विभाग के लिए स्वीकृत राशि के प्रथम किस्त के रूप में कर्णांकित राशि ₹ 389.292 करोड़ का प्रावधान के लिए योजना एवं विकास विभाग से वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त अतिरिक्त योजना उद्व्यय के आलोक में मांग संख्या–37 मुख्य शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्यशीर्ष –00 लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष–0104 – मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अंतर्गत विषय शीर्ष 53 01 में ₹ 389.292 करोड़ (तीन सौ नवासी करोड़ उन्तीस लाख बीस**

Chandan 9/11/2022

हजार) रू0 मात्र की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति मंत्रिपरिषद से प्राप्त है।

आदेशः— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्यपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

9/11/2022

(संजय दूबे)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-12/2022 6504 पटना, दिनांक-09/11/22

प्रतिलिपिः— महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/11/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-12/2022 6504 पटना, दिनांक-09/11/22

प्रतिलिपिः— विशेष सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/11/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-13/अ0प्र0-02-12/2022 6504 पटना, दिनांक-09/11/22

प्रतिलिपिः— महामहिम राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार/ माननीय मुख्यमंत्री के सचिव/माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव/ सरकार के सभी विभागों के प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/11/2022

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–02–12 / 2022 6504 पटना, दिनांक–09/11/22

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा0का0वि0 / अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग / सचिव, ब्राडा / सभी मुख्य अभियंता, ग्रा0का0वि0 / सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा0का0वि0 / सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा0का0वि0 / सभी संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/11/2022

सरकार के विशेष सचिव

Chandan

ज्ञापांक–13 / अ0प्र0–02–12 / 2022 6504 पटना, दिनांक–09/11/22

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रा0का0वि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/11/2022

सरकार के विशेष सचिव

Chandan